## िद वि वि आ

## दिल्लीविद्युतनियामकआयोग

विनीयमकभवन, सी-ब्लॉक, शिवालिक, मालवीयनगर, नईदिल्ली-110 017 वेबसाइट: www.derc.gov.in, टेलीफैक्स: 26673608

## सार्वजनिक सूचना

दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं और लोकपाल की शिकायतों के निवारण के लिए फोरम) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021 के प्रारूप पर टिप्पणियां/सुझाव/आपत्तियां प्रदान करना।

दिल्ली विद्युत नियामक आयोग, उप-धारा (2) (आर) और उप-धारा (2) (एस) की धारा 181 के उप-धारा (5) और उप-धारा के साथ उप-धारा (2) (आर) और उप-धारा (2) (एस) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42 की धारा 6, और इस संबंध में इसे सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियां, इसके द्वारा दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं और लोकपाल की शिकायतों के निवारण के लिए फोरम) विनियम, 2018 में संशोधन करने का प्रस्ताव करती हैं।

प्रारूप दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं और लोकपाल की शिकायतों के निवारण के लिएफोरम) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021 आयोग की वेबसाइट अर्थातwww.derc.gov.inपर उपलब्ध है।

हितधारकों से अनुरोध है कि वे प्रारूप दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं और लोकपाल की शिकायतों के निवारण के लिए फोरम) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021 पर अपने सुझाव/टिप्पणियां/आपित्तयां आयोग को दिनांक 12.01.2022 तक भेज दें। टिप्पणियों/सुझावों/आपित्तयों को सचिव, डीईआरसी को डाक द्वारा या ई-मेल द्वारा <u>secyderc@nic.in</u>पर भेजा जा सकता है।

हस्ताक्षरित सचिव, डीईआरसी